

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-98/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० संजू कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया के दिनांक-11.11.2022 से 10.05.2023 तक एवं दिनांक-01.03.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि को निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-11.11.2022 से 09.05.2023 तक	- कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में। (वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में)
ii.	दिनांक-10.05.2023 को	- देय अवकाश
iii.	दिनांक-01.03.2025 से 31.03.2025 तक	- कुल-31 (एकतीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में। (वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में)

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-98/2025- 1722 (2) पटना, दिनांक 23 / 04 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/डा० संजू कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
1